.डा0 वी0 राजेन्दर,भा.प्र.से. समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक– 13..07.2004 को आयोजित राजस्व संग्रहण पदाधिकारियों की सप्ताहिक बैठक की कार्यवाही ।

1. बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति कार्यवाही पंजी के अनुसार ।
2. यह बैठक प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाहन में 10.00 बजे से हुआ करेगी।
3. जिलाधिकारी एवं समाहर्त्ता की अनुपस्थिति में यह बैठक अपर समाहर्त्ता द्वारा की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उप समाहर्त्ता प्रभारी जिला राजस्व शाखा द्वारा यह बैठक की जायेगी ।
4. इस बैठक का अनुश्रवण जिला राजस्व शाखा द्वारा किया जायेगा तथा इसके प्रभारी एवं कार्यवाह सहायक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह रहेगें तथा इनकी अनुपस्थिति राजस्व शाखा के प्रधान सहायक इसके प्रभारी एवं कार्यवाह सहायक होगें। इनका दायित्व होगा कि वे प्रत्येक बैठक में उपस्थिति पंजी तथा विगत बैठक की कार्यवाही के साथ बैठक में उपस्थित रहेगें एवं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुप
5. अनुपालन में आवश्यक पत्राचार उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता के माध्यम से सुनिश्चित करेगें।
6. श्री कमला कान्त मिश्र, समाहर्त्ता के आशुलिपिक इस बैठक की कार्यवाही नोट करेगें तथा उसी दिन कम्प्युटराईज कर श्री सिंह को उपलब्ध करा देगें। श्री मिश्र की अनुपस्थिति में श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय,समाहर्त्ता के आशुलिपिक इस कार्यवाही को नोट करेगें ।
7. बैठक का स्थान समाहरणालय सभा कक्ष होगा
8. प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को आंतरिक संसाधन की गहन समीक्षा विभागवार की जायेगी।
9. इस बैठक में (आंतरिक संसाधन) राजस्व वसूली से संबंधित निम्नांकित पदाधिकारियों को अनिवार्य रुप से भाग लेना है:–
(1) सहायक आयुक्त,वाणिज्यकर, (2) सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्यनिषेध, रोहतास(सासाराम), (3)जिला अवर निबंधक, निबंधन कार्यालय, कैमूर(भभुआ), (4) सहायक खनन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (5) जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ), (6)कार्यपालक पदाधिकारी,राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय बचत कार्यालय, सासाराम, (7) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, भभुआ (8)कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल,भभुआ, (9)सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिमि,मोहनियां, (10) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल,भभुआ, (11) कार्यपालक अभियंता, राजकीय नलकूप प्रमण्डल,मोहनियां, (12) उप समाहर्त्ता, सिंचाई राजस्व प्रमण्डल मोहनियां, (13) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ, (14) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ, (15)प्रबंध निदेशक, सासाराम–भभुआ सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सासाराम, (16) जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), (17) जिला प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, कैमूर (भभुआ), (18) भूलगान एवं सैरात, (19) जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)

10. द्वितीय शुक्रबार की जिलास्तरीय मासिक समन्वय समिति की बैठक में सहायक आयुक्त वाणिज्यकर के साथ–साथ वाणिज्यकर विभाग, भभुआ में पदस्थापित सभी विक्री कर पदाधिकारी यथा श्री छोटे लाल बैठा,सहायक आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार, विक्री पदाधिकारी, श्री राम किशोर प्रसाद,विक्री कर पदाधिकारी तथा श्री आदित्य नारायण, विक्री कर पदाधिकारी,भभुआ भी भाग लेगें ।
11. कोई भी पदाधिकारी बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पटना या अन्य जगह जाने के संबंध अधोहस्ताक्षरी को पूर्व सूचना देकर अनुमति प्राप्त कर ही विभागीय बैठक के लिए मुख्यालय छोड़ेगें।
12. अवकाश की अवधि में भी अपना सम्पर्क टेलीफोन नम्बर लिखित सूचना के साथ अवश्य अधोहस्ताक्षरी को देगें ताकि अति आवश्यक परिस्थिति में उनसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
13. सभी पदाधिकारियों को समय से बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।
14. सभी पदाधिकारी बैठक की कार्यवाही के साथ एवं इसमें दिये गए निदेश के अनुपालन के साथ बैठक में भाग लेगें।

क0	विभाग	दिये गए निदेश	उत्तरदायी पदाधिकारी	अनुपालन की तिथि
1	वाणिज्यकर, विभाग	1. विगत वर्ष के का लक्ष्य 7.15 करोड़ रूपया निर्धारित था जिसके विरूद्ध जून माह तक 35.4 लाख की वसूली हुई है । सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ ने बताया कि विगतन सप्ताह में दिनांक 12.07.04 तक 9.15 लाख रूपये की वसूली हुई है। समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि विगत वर्ष के लक्ष्य को ही अभी इस वर्ष का लक्ष्य मानकर सघनरूप से वसूली की कार्रवाई की जाय।	सहायक आयुक्त,वाणिज्यकर भभुआ ।	20.07.04
		2.प्रखण्डवार / पदाधिकारीवार वाणिज्यकर के अधीन निबंधित विभिन्न व्यवसाय में संलग्न व्यावसायियों की सूची उपलब्ध करा दी जाय। सूची उपलब्ध करा दी गई है । प्रभारी पदाधिकारी राजस्व इसे संचिका में उपस्थपित करेगें। अपर समाहर्त्ता ने बताया कि प्रखण्डवार यह सूची प्राप्त नहीं है। अतः प्रखण्डवार / व्यवसायवार सूची अगली बैठक तक उपलब्ध कराई जाय।	सहायक आयुक्त,वाणिज्यकर भभुआ ।	20.07.04

		3.ईट भठ्ठों के निबंधन 30–06–2004 तक अभियान चलाकर किया जाय। इस निदेश के आलोक में सहायक आयुक्त ने बताया कि जिले में कुल 104 ईट भठ्ठा हैं जिनमें से 81 सेल्स टैक्स में निबंधित हैं तथा 23 अनिबंधित हैं। अनिबंधित ईट् भठ्ठों की सूची सहायक खनन पदाधिकारी, सासाराम से प्राप्त कर इनके निबंधन की कार्रवाई शीघ्र की जाय तथा इनसे राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाय। सहायक खनन पदा0 से यह सूची अप्राप्त है। यह भी निदेश दिया गया कि जिला के सभी अंचल अधिकारियों से संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारियों के माध्यम से यह प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से ईंट भट्ठे वाणिज्यकर विभाग से निबंधित है तथा कौन कौन से अनिबंधित ।	प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व एवं अपर समाहर्त्ता।	20.07.04
		4.उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि विभाग द्वारा 26 में से 24 विभिन्न प्रकार के शराब दुकानों की बन्दोवस्ती विगत वर्ष की गई थी। इन सभी शराब व्यवसायियों का निबंधन वाणिज्य कर में होना अनिवार्य है। सहायक आयुक्त,उत्पाद एवं मद्यनिषेध,रोहतास(सासाराम) इन 24 शराब व्यवसायियों की सूची सहायक आयुक्त,वाणिज्यकर, भभुआ को उपलब्ध करा दिया गया है ।सहायक आयक्त वाणिज्य कर ने बताया कि इन 24 में से 08 शराब व्यवसायियों विकी कर में पूर्व से ही निबंधित हैं तथा 02 निबंधन हेतु आवेदनपत्र दिया है। शेष 14 अनिबंधित, व्यवसायिकें को निबंधन हेतु नोटिस वाणिज्य कर द्वारा निर्गत किया गया हैं। समाहर्त्ता ने इन 14 अनिबंधित व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा कर इनसे विकी कर वसूली करने का निदेश दिया। अन्यथा इन्हें भविष्य में इन्हें किसी भी सरकारी दुकानों की बन्दोवस्ती में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। शराब दुकानों की इस वर्ष में हुई बन्दोवस्ती की सूची भी विकी कर विभाग को देने का निदेश सहायक आयुक्त, उत्पाद को दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व एवं अपर समाहर्त्ता।	20.07.04

		5.विमर्श के कम में स्पष्ट हुआ कि प्रखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के स्टोन मेटल एवं अन्य सामग्रियों पर जो विकी कर की कटौती की जाती है उसे विकी कर को हस्तगत कराने हेतु पत्र का प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शीघ्र उपस्थापित किया जाय। इस संबंध में पत्र सभी प्रखण्डों को भेजा गया है। ।	सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्यनिषेध,रोहतास (सासाराम) एवं सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ।	20.07.04
		6. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न पर 04 प्रतिशत विकी कर का भुगतान विकी कर विभाग को करना है। इसके लिए पत्र कर प्ररूप बनाकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय। अनुपालन किया गया है। सहायक आयुक्त इस संबंध में अपनेस्तर से भी अग्रेत्तर कार्रवाई करेगें एवं अनुपालन प्रतिवेदन देगें।	सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, भभुआ एवं अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ)।	20.07.04
		7. बैठक में समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सूचना प्राप्त की जाय कि कितन–किन प्रखण्डों द्वारा वाणिज्यकर की राशि कटौती कर राशि चालान द्वारा कोषागार में जमा की गयी है। कोषागार पदाधिकारी को समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखण्डों से जमा की गयी राशि का समेकित विवरणी तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करेगें। कोषागार पदाधिकारी से अनुपालन अप्राप्त है। अगली बैठक में प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।	अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) एवं प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा।	20.07.04

		8. समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि जिले में विभिन्न प्रकार के यवसाय में लगे व्यापारियों / दुकानदारों का सर्वेखण कराया जाय तथा एक लाख रूपये से अधिक का व्यवसाय करनेवाले सभी नये व्यापारियों का निबंधन वाणिज्यक कर में करने हेतु कार्रवाई की जाय। इसका सर्वेक्षण प्रखण्डवार करवाकर सर्वेक्षण सूची अधोहस्ताक्षरी को 30 जून तक प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन किया जा रहा है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर ने वताया कि अगली बैठक में सर्वेक्षण सूची प्रस्तुत किया जायेगा।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ।	20.07.2004
		10.सहायक आयुक्त,वाणिज्यकर ने वताया कि मेसर्स कॉमता ऑयल एजेंसी, रामगढ़ के पास लगभग 02 लाख रूपये वाणिज्य कर का बकाया है । इसकी वसूली हेतु मेसर्स कामता ऑयल एजेंसी को पत्र का प्रारूप देने हेतु समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया। श्री जगदीश नारायण तिवारी, प्रो0 कामता ऑयल एजेंसी उपस्थित हो कर बताया कि आज दिनांक 22.06.04 को बकाया एक लाख रूपया चालान द्वारा जमा कर हे हैं और अगले दो–तीन दिनों में शेष सभी वकाया जमा कर देगें। उन्हें निदेश दिया गया कि जमा की गई राशि का चालान की छाया प्रति 29.06.04 की अगली सप्ताहिक बैठक में देगें। 29.06.2004 को भी चालान इनके द्वारा जमा नहीं किया गया पुनः अन्तिम तिथि 06.07.2004 निर्धारित की जाती है। श्री जगदीश तिवारी द्वारा कोषागार चालान से जमा मो0 2.00 लाख रूपये की राशि के चालान की छाया प्रति सहायक आयुक्त द्वारा समर्पित किया गया। सहायक आयुक्त वाणिज्यकर ने बताया कि अब श्री तिवारी मात्र 36,000/– विकी कर की राशि के देनदार हैं। समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि अगली मंगलबारी बैठक में श्री तिवारी को बुलाया जाय।	सहायक आयुक्त वाणिज्यकर,मेसर्स कामता ऑयल एजेन्सी एवं कोषागार पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)।	20.07.2004

		11.सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर ने बताया कि जिले के सभी वर्क्स विभागों द्वारा विक्री कर की राशि जमा की जा रही है मात्र कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ द्वारा यह राशि जमा नहीं की गई है। उनके द्वारां अबतक 9.00 लाख रूपये की राशि विक्री कर के रूप में जमा की जानी है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नगर प्रमण्डल,भभुआ उक्त 9.00 लाख रूपये की राशि अविलंब विक्री कर विभाग को भुगतान कर कर अनुपालन प्रतिवेदन अगली मंगलवारी बैठक में निश्चित रूप से देंगें।	कार्यपालक अभियंता,सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ।	20.07.2004
		12.विक्री कर से संबंधित निलामपत्र वादों की सूची न्यायालय वार सर्मर्पित करना है।	सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, भभुआ	20.07.2004
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।	1.सहायक आयुक्त के प्रतिनिधि उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि इास वर्ष का उनका लक्ष्य 03,11,18,000/–रूपये का है जिसके विरूद्ध विगत सप्ताह तक 01,31,80,000/– रूपये की वसूली हुई है। समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि आंतरिक संसाधन में वृद्धि लाने हेतु हर सम्भव प्रयास कर शतप्रतिशत् वसूली की कार्रवाई की जाय।	समाहयक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध	20.07.2004
		2.कैमूर जिला के लिए एक उत्पाद निरीक्षक तथा कम से कम दो उत्पाद अवर निरीक्षक एवं 08 उत्पाद आरक्षियों को कर्णकित करने का निदेश दिया गया। इस निदेश का अनुपालन अभीतक नहीं हुआ है। अगली बैठक के पूर्व इसका अनुपालन करने का निदेश दिया गया । उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि इस निदेश का अनुपालन किया गया है। इस संबंध में लिखित प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।	सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध, रोहतास (सासाराम)	20.07.04

		3. समाहर्त्ता ने बताया कि इस जिले में बहुत सारे अवैद्ध शराब बनाने के संबंध में सूचनाऍं प्राप्त हो रही है। इसके विरूद्ध सघन छापामारी का अभियान चलाया जाय अन्यथा अवैद्ध एवं जहरीली शराब पीने से यदि किसी व्यक्ति के मौत होने का मामला प्रकाश में आने पर सारी जवाबदेही सहायक आयुक्त की होगी। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि विगत सप्ताह छापामारी नहीं की जा सकी है।	सहायक आयुक्त,उत्पाद एवं मद्य निषेध, रोहतास (सासाराम)	20.07.04
		4.उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि विभाग द्वारा 26 में से 24 विभिन्न प्रकार के शराब दुकानों की बन्दोवस्ती विगत वर्ष की गई थी। इन सभी शराब व्यवसायियों का निबंधन वाणिज्य कर में होना अनिवार्य है। सहायक आयुक्त,उत्पाद एवं मद्यनिषेध,रोहतास(सासाराम) इन 26 शराब व्यवसायियों की सूची सहायक आयुक्त,वाणिज्यकर, भभुआ को उपलब्ध करा दिया गया है ।सहायक आयक्त वाणिज्य कर ने बताया कि इन 24 में से 08 शराब व्यवसायियों विकी कर में निबंधित हैं तथा दो व्यवसायियों द्वारा निबंधन हेतु आवेदनपत्र दिया गया है। शेष 14 अनिबंधित हैं तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है। समाहर्त्ता ने इन 06 अनिबंधित व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा कर इनसे विकी कर वसूली करने का निदेश दिया। अन्यथा इन्हें भविष्य में इन्हें किसी भी सरकारी दुकानों की बन्दोवस्ती में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) एवं सहायक आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध , रोहतास (सासाराम)	20.07.04
3	निबंधन विभाग।	1. श्री शहिद जमील अहमद, जिला अवर निबंधक इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। बताया गया कि निबंधन मत्री के मोहनियां में निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके। जून माह तक की वसूली 215.36 लाख रूपये प्रतिवेदित है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ)	20.07.04
		2.समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि कोषागार से जो स्टॉम्प निकाले जाते हैं उसका मिलान किया जाना नितांत आवश्यक है। इसका मिलान सावधानी पूर्वक किया जाय। अनुपालन किया जा रहा है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ)	20.07.04

		3.जमीन विक्री के लिए जमीन का जो दर निर्धारित किया गया है उसका मिलान बाजार दर से कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो जाय कि जमीन निर्धारित दर बाजार दर से कमतो नहीं है। जिला अवर निबंधक ने बताया कि अनुपालन किया जा रहा है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) एवं अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ)।	20.07.04
		4.जिला निबंधन कार्यालय में निबंधित भूमि की सूचना संबंधित अंचल अधिकारियों को भी दी जाय ताकि निबंधन के अनुसार संबंधित विक्रेता के नाम से उसका स्वामित्व खरीज कर क्रेता के नाम दाखिल खरीज हो सके। अंचलवार प्रत्येक सप्ताह समेकित सूची बनाकर संबंधित अंचल अधिकारियों को भेजा जाय तथा उस सूची की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में समर्पित की जाय। जिला अवर निबंधक ने बताया कि 31.05.04 तक का प्रतिवेदन भेजा गया है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) एवं सभी अंचल अधिकारी ।	20.07.04
		5.बिहार सरकार गैरमजरूआ आम/खास/अनाबाद बिहार सरकार के खते की भूमि का निबंधन करने का प्रयास करनेवालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय। सूचना भी दें। जिला अवर निबंधक ने बताया कि इस तरह का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ)	20.07.04
		6.भू–हदबंदी के अंतर्गत आने वाली भूमि का निबंधन किसी भी परिस्थिति में न हो इसे सुनिश्चित किया जाय। बताया गया कि अनुपालन किया जा रहा है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ)	20.07.04
		7.समाहर्त्ता द्वारा पूछे जाने पर जिला अवर निबंधक ने बताया कि कम कीमत का स्टॉम्प देकर निबंधित कराई गई भूमि से संबंधित 38 मामले समाहर्त्ता के न्यायालय में भेजे गए हैं। समाहर्त्ता ने इन मामलों का निष्पादन शीघ्र करने का आश्वासन दिया ।	समाहर्त्ता न्यायालय	20.07.04
		8. कार्यालय का कार्य परदर्शिता पूर्वक किया जाय तथा प्रतिदिन के निबंधित दस्तावेजों को उसी दिन निबंधित दस्तावेज संबंधित क्रेता को हस्तगत करा दिया जाय। अनुपालन किया जा रहा है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर प्र0पदा0 राजस्व शाखा।	20.07.04

		9. कोषागार से निकासी किए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉम्प का विवरणी प्रत्येक सप्ताह कोषागार पदाधिकारी देगें । अनुपालन अप्राप्त है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर	20.07.04
		10. जिले में उपलब्ध Deed Writers की सूची उनके पूरे पते एवं लाईसेन्स नम्बर के साथ अगली बैठक में उपलब्ध कराई जाय। जिला अवर निबंधक ने बताया कि सूची दे दी गयी है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर	20.07.04
		11. समाहर्त्ता द्वारा पूछे जाने पर जिला अवर निबंधक ने बताया कि वर्ष 1995 तक निबंधित दस्तावेजों का वितरण किया जा चुका है तथा अब वर्ष 1996 के दस्तावेजों का वितरण किया जा रहा है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि दस्तावेज वितरण हेतु प्रत्येक सप्ताह का लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाय और उसकी सूचना अगली बैठक में दी जाय। अनुपालन नहीं हुआ है।	जिला अवर निबंधक, कैमूर	20.07.04
		12. दिनांक 09.07.2004 को जिले के सभी मुद्रांक विक्रेताओं की बैठक जिलाधिकारी एवं समाहर्त्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में दिये गए निदेश का अनुपालन सभी संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेगें।	अपर समाहर्त्ता उप समाहर्त्ता विधि जिला अवर निबंधक कोषागार पदा0,कैमूर।	20.04.04
4	नगर पंचायत भभुआ	1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत भभुआ बैठक में उपस्थित थे। उन्होने जानकारी दी कि 01,07,23,658/- के लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन वसूली विगत सप्ताह तक 10.10 लाख रू0 का हुआ है।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायल भभुआ	20.07.04
		2.शहर में फैले गन्दगी के अम्बार को साफ कराने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। इस निदेश का अनुपालन किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सफाई का अभियान चल रहा है।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायल भभुआ	20.07.04
		3.शहर की सफाई के लिए वार्ड वार कन्टैक्ट बेसिस पर टेंडर निकाल कर संबंधित वार्ड के व्यक्तियों द्वारा सफाई कराने का निदेश दिया गया । अनुपालन अभी नहीं हुआ है।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायल भभुआ	20.07.04

		4.शहर में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के संबंध में समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि पूरे शहर के पूराने एवं नव निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के कॉरपेट एरिया का सर्वे कराकर उसके अनुसार होल्डिंग टैक्स के निर्धारण की प्रक्रिया अविलंब प्रारम्भ की जाय। अनुपालन नहीं हुआ है।	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायल भभुआ	20.07.04
5	कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनियां	1. सचिव,बाजार समिति बैठक में उपस्थित नहीं थे इस लिए इनकी समीक्षा नहीं की जा सकी। इनसेअनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पूछा जाय। उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे उन्होंने बताया कि विगत सप्ताह तक 21,49,536/–रू0 की वसूली हुई है।	सचिव,कृषि उतदन बाजार समिति, मोहनियां। अपर समाहर्त्ता कैमूर	20.07.04
		2. सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति ने समाहर्त्ता द्वारा पूछे जाने पर बताया कि लोक सभा निर्वाचन के अवसर पर बाजार समिति के यार्ड में निर्मित मतगणना कक्षों को घेरने में जो ईट लगाये गए थे उस ईट को कुछ लोगों द्वारा उखाड़ कर ले जाया गया है और कुछ ईट बाकी है। समाहर्त्ता द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर ईस ईंट को सुरक्षित रखवाने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनियां को निदेश दिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोहनियां यह स्थिति भी स्पष्ट करेगें कि बाजार समिति से ईट कौन उठा ले गया और किसके आदेश से। यह प्रतिवेदन अगली सप्ताहिक बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समर्पित करेगें। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखा जाय।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनियां प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व, कैमूर।	20.07.04
6	परिवहन	1.जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 01.85 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध परिवहन मद में वसूली जून माह तक 45,42,852/– रूपये हुई है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	20.07.04
		2.विभान प्रखण्ड/अंचल एवं अनुमण्डल में परिवहन शिविर लगाकर अनिबंधित ट्रैक्टरों एवं अन्य वाहनों का निबंधन किया जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि परिवहन शिवर की तिथियॉ प्रखण्डवार निर्धारित कर सूचना सभी प्रखण्डों में भेजा जा रहा है। परिवहन शिविर दिनांक 15.07.2004 से प्रारम्भ है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	20.07.04

		3.प्रत्येक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां दी गयी है। उनके स्तर से इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा रही है। कितने वाहनों की चेकिंग की गई है तथा कितनी राशि की वसूली की गयी है इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। प्रतिवेदन अप्राप्त है। स्मार दिया जाय।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	20.07.04
		4.परिवहन से क्या–क्या सेवायें आम लोगों को दी जाती है उसका Public Charter बनाकर उसे परिचारित कराया जाय । जिला परिवहन पदा0 ने बताया कि Public Charter बना लिया गया है। इसके होर्डिंग लगाने की कार्रवाई की जा रही है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	20.07.04
		5.अवैद्ध रूप से चल रही सभी प्रकार के वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाकर करना है । अनुपालन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इसके लिए परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन चेकिंग के लिए सरकार से शक्तियाँ प्रत्यायोजित कराना आवश्यक है। समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि इसके लिए राज्य परिवहन आयुक्त,बिहार को पत्र का प्रारूप उपस्थपित किया जायं	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	20.07.04
		6. समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि परिवहन कार्यालय के पूर्व के वर्षों के सभी अभिलेखोंकागजातों/संचिकाओं/पंजियों जिनका उपयोग वर्त्तमान में नहीं है उसका वर्षवार/विषयवार वर्गीकरण कराकर राज्य परिवहन आयुक्त बिहार के यहाँ अथवा अभिलेखागार में जमा करा दिया जाय।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर	20.07.04
		7.चिपली गॉव के सामने (दुर्गावती प्रखण्ड) जी0टी0रोड पर अस्थाई चेकपोस्ट निर्माण कराना है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर तथा श्री अमर सिंह, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, भभुआ।	20.07.04

		8.मोटरयान निरीक्षक प्रत्येक मंगलवारी बैठक में भाग लेगें जिससे कि उनके द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा हो सके। इस संबंध में एक पत्र भी मोटर यान निरीक्षक को लिखना है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर मोटर यान निरीक्षक।	20.07.04
		9.परिवहन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रवर्त्तन अवर निरीक्षकों एवं प्रवर्त्तन पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की जॉच कर वसूल की गई राशि के संबंध में प्रतिवेदन दिया जाता है। इसप्रतिवेदन को जिला परिवहन पदाधिकारी संचिका में अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ उपस्थापित करेगें कि उनके द्वारा कितनी राशि वसूली की गई और कितनी राशि कहाँ जमा की गयी।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर।	20.07.04
		10. परिवहन से संबंधित निलाम पत्र वादों का न्यायालयवार प्रतिवेदन अगली बैठक में निश्चित रूप से उपस्थापित करना।	जिला परिवहन पदा0, कैमूर।	20.07.04
		11. परिवहन राजस्व की वसूली अधिक–से अधिक सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 15.07.2004 से कैमूर जिले के विभिन्न प्रखण्डों में तिथिवार परिवहन कैम्प प्रारम्भ है। इस कैम्प को सुचारुरूप से संचालन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर तथा श्री नन्दलाल पाठक, निरीक्षक, मापतौल, भभुआ की प्रतिनियुक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी की सहायता हेतु की जाती है। ये दोनों पदाधिकारी प्रत्येक परिवहन शिविरों में उपस्थित हो कर जिला परिवहन पदाधिकारी को सहयोग देगें। जिला परिवहन पदाधिकारी आवश्यकता नुसार और तृतीय वर्ग के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव अविलंब प्रस्तुत करें। तत्संबंधी आदेश अविलंब उपस्थापित किया जाय। अपर समाहर्त्ता भी इस शिविर के कार्यो का स्थल पर जाकर अनुश्रवण सुनिश्चित करावेगे।	अपर समाहर्त्ता,कैमूर जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर।	20.07.2004

7	खनन विभाग	1.सहायक खनन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) ही इस जिले के प्रभार में हैं। एक नये सहायक खनन पदाधिकारी ने योगदान दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि वे अधोहस्ताक्षरी से छुट्टी लेकर गए है। इसलिए इनके विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस बैठक में भी उपस्थित नहीं हैं। जून माह तक 5.75 लाख रूपये वसूली की गयी है।	अपर समाहर्त्ता, कैमूर	20.07.04
8.	सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनियां।	1.श्री अरूाण कुमार सिंह, उप समाहर्त्ता, सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनियां बैठक में उपस्थित नहीं हैं । इनके संबंध में इनके प्रतिनिधि ने बताया कि उप समाहर्त्ता माननीय उच्च न्यायालय के कार्य पटना गए है।	उप समाहर्त्ता सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनियां।	20.07.04
		2.बैठक में उप समाहर्त्ता सिंचाई राजस्व प्रमण्डल के प्रतिनिधि ने बताया कि 168.00 लाख रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध विगत सप्ताह की वसूली 8.30 लाख है।	उप समाहर्त्ता सिंचाई राजस्व प्रमण्डल, मोहनियां।	20.07.04
9	विद्युत विभाग	1. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, भभुआ इस बैठक में अनुपस्थित थे। समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि इनसे अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। ।	कार्यपालक अभियंता, विद्युत, भभुआ।	20.07.04
		2.कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विद्युत शुल्क वसूली का लक्ष्य लगभग 31.00 करोड़ रूपया है जिसके विरूद्ध वसूली 43.5 लाख रूपये की हुई है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि अगली बैठक में मांग एवं अद्यतन वसूली के ऑकड़ा के साथ भाग लेगें । अनुपालन नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, भभुआ।	20.07.04
		3. समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि जिले में अनुमण्डल वार कुल कितने विद्युत के उपभोक्ता हैं तथा उनके पास विद्युत की बकाया बिल भुगतान की क्या स्थिति है। इस संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अगली बैठक में भाग लें।	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, भभुआ।	20.07.2004

		4. समाहर्त्ता द्वारा पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विद्युत से संबंधित कुल 500 निलाम पत्र वाद हैं। परन्तु उन्हों ने यह नहीं बताया कि ये बाद किसके न्यायालय में है। अगली बैठक में इसकी पूर्ण विवरणी के साथ बैठक में भग लेने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, भभुआ।	20.07.2004
		5. जिले में अवस्थित कुल राई मिल की सूची उपलब्ध कराई जाय। इस सूची में यह बताया कि संबंधित राई मिल के लिए कितने हॉर्स पावर का विद्युत मोटर पास है तथा उसपर कितना विद्युत शुल्क बकाया है। अगली बैठक में यह सूची उपलब्ध कराई जाय।	कार्यपालक अभियंता, विद्युत, भभुआ।	20.07.2004
10	लघु सिंचाई विभाग।	1. कार्यपालक अभियंता इस बैठक में अनुपस्थित थे। इस लिए उनके द्वारा की गयी वसूली की समीक्षा नहीं हो सकी। पटवन कर बकाया रखने वाले किसानों की सूची अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। सूची अप्राप्त है। जून माह में 0.66 लाख रूपये की वसूली प्रतिवेदित है।	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ।	20.07.04
11.	राष्ट्रीय बचत विभाग।	1.कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत विभाग,सासाराम बैठक में उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि 50.00 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध जून माह तक 09,67,46,000/– रूपये की उपलब्धि हुई है।	कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत,सासाराम	20.07.04
		3. राष्ट्रीय बचत में महिलाओं को अभिकर्त्ता अभियान चलाकर बनाया जाय। कार्रवाई की जा रही है बताया गया।समाहर्त्ता द्वारा पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि महिला अभिकर्त्ताओं की सं0 कुल 185 है।	कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सासाराम।	20.07.04
		4. समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय बचत के कैमूर जिले के सभी अभिकर्त्ताओं की बैठक आहूत की जाय। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी संचिका में प्रस्ताव दे कर बैठक की तिथि निर्धारित करवालें एवं तद्नुसार सभी अभिकर्त्ताओं को इसकी विधिवत सूचना निर्गत करे।	कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सासाराम।	20.07.04

12	राजकीय नलकूप विभाग	1.कार्यपालक अभियंता राजकीय नलकूप इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए इस लिए इस विभाग द्वारा की गई वसूली की समीक्षा नहीं हो सकी। कार्यपालक अभियंता से अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा इसे निस्तार तक उनका वेतन अवरूद्ध किया जाय। इस बैठक में भी उपस्थित नहीं हैं	अपर समाहर्त्ता, कैमूर	20.07.2004
		2.राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनियां के अंतर्गत कार्यरत्त विभिन्न स्तर के अभियंता तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सूची सम्वर्गवार अगली बैठक में प्राप्त की जाय। अनुपालन अप्राप्त।	अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) एवं कार्यपालक अभियंता, राजकीय नलकूप प्रमण्डल, मोहनियां।	20.07.04
13	कृषि विभाग	जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 02,51,780/– का लक्ष्य विभाग से प्राप्त हुआ है। कुल वसूली 51,000/– रू0 की हुई है। इसके अनुरूप वसूली करने का निदेश दिया गया।	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर	20.07.04
14	वन विभाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित है । अनुपस्थिति के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब अप्राप्त है । अनुपस्थिति के कारण उनकी समीक्षा नहीं हो सकी। विगत बैठक तथा इस बैठक में अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।	अपर समाहर्त्ता, कैमूर।	20.07.04
15.	मापतौल	1.निरीक्षक माप–तौल, भभुआ बैठक में उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि 8.31 लाख रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध वसूली जून माह तक 01,16,000/–रू0 हुई है। निदेश दिया गया कि वसूली में तीव्रता लावें ।	अपर समाहर्त्ता, कैमूर	20.07.04
		2. निदेश दिया गया कि रजिसर्ट डिलरों की टंकित सूची अगली बैठक में समर्पित करें ।	माप तौल निरीक्षक	20.07.04

16.	सहकारिता विभाग।	इस विभाग के जिला सहकारिता पदाधिकारी किसी बैठक में भाग नहीं लेते जिसके कारण सहकारिता की बकाया राशि वसूली की समीक्षा नहीं हो पाती है। उन्हें पत्र लिखकर अगली बैठक में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वसूली के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश निर्गत किया जाय। इस बैठक में भी कोई उपस्थित नहीं है। ये प्रारंभ से लेकर अबतक किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए है। इनके विरूद्ध सहकारिता सचिव, निबंधक, सहयोग समितियों, प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारिता बैंक,पटना को लिखा जाय तथा उसकी प्रतिलिपि आयुक्त, पटना प्रमण्डल,पटना को भी दी जाय।	अपर समाहर्त्ता,कैमूर प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व0 शाखा।	20.07.04
17.	भूमिविकास बैंक	इस विभाग के जिला जिला प्रबंधक, भूमि विकास बैंक किसी बैठक में भाग नहीं लेते । यह आज की बैठक में भी अनुपस्थित है । जिसके कारण सहकारिता की बकाया राशि वसूली की समीक्षा नहीं हो पाती है। उन्हें पत्र लिखकर अगली बैठक में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वसूली के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश निर्गत किया जाय। रइस बैठक में भी कोई उपस्थित नहीं हैं। ये प्रारंभ से लेकर अबतक किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए है। इनके विरूद्ध सहकारिता सचिव, निबंधक, सहयोग समितियों, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक,पटना को लिखा जाय तथा उसकी प्रतिलिपि आयुक्त, पटना प्रमण्डल,पटना को भी दी जाय।	अपर समाहर्त्ता,कैमूर प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व0 शाखा।	20.07.04
18.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।	1. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, भभुआ बैठक में नहीं उपस्थि थे। बैठक में उपस्थित उनके प्रतिनिधि ने बताया कि समाहर्त्ता महोदय के निदेशानुसार कार्यपालक अभियंता सरकारी कार्य से मधुबनी गए हुए हैं। अगली बैठक में वॉछित प्रतिवेदन के साथ भाग लेगें।	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, भभुआ।	20.07.04
		2. कार्यपालक अभियंता बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने अपने पत्रांक 1719 दिनांक 11.06.2004 क्षरा विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया है। प्रभारी पदाधिकारी इसे संचिका में उपस्थापित करेगें।	प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा।	06.07.04

19.	जिला निलाम पत्र	1. अगली सप्ताहिक बैठक में जिला निलाम पत्र पदाधिकारी मांग एवं वसूली के पूर्ण विवरण के साथ बैठक में भाग लेगें। जिला निलाम पत्र पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 17,55,66,331/— रूपये के मांग के विरूद्ध वसूली 19,27,329/— रू0 हुई है।	थ्जला निलाम पत्र पदाधिकारी, कैमूर।	20.07.04
		2. अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अंचल अधिकारियों से सभी निलाम पत्र वादों को अविलंब अपने यहाँ मंगवालें। इस संबंध में पत्र दोनों अनुमण्डल पदाधिकारियों को लिखा जाय।	अपर समाहर्त्ता,कैमूर प्रभारी पदा0 राजस्व, कैमूर।	20.07.04

इस बैठक मे शेष अनुपस्थित विभागों के पदाधिकारियों से अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

(अनुपालनः अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ)।

Rajendra 14.7.2004

समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (भभुआ)

ज्ञाप सं0 /रा0 भभुआ,14.07.2004 दिनांक

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

Rajendra 14.7.2004

समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी
कैमूर (भभुआ)